

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, जिला एवं सत्र न्यायालय, कानपुर नगर।

निविदा सूचना

पत्रांक ५३९

कानपुर नगर

दिनांक १६/१६/२०२३

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस जनपद न्यायालय कानपुर नगर के निम्नलिखित निष्प्रयोज्य, अनुपयोगी एवं आउट डेटेड कम्प्यूटर एवं पुराने कम्प्यूटर हार्डवेयर की नीलामी कराया जाना है, जिनका विवरण निम्नवत् है—

List of Unused, Outdated and Faulty Old Computer Equipments

S. No.	Equipment Name	Quantity
1	HCL PC (CPU)	41
2	HCL Monitor (17 Inches)	41
3	HCL Winbee Thin Client	183
4	HCL Monitor (15 Inches)	170
5	Server Monitor	1
6	Scanner HP Scanjet8270	1
7	TVS MSP DMP Printer	61
8	HP Laser Jet Printer P1008	35
9	Uni-line UPS (600 VA)	6
10	UPS BPE (1 KVA)	34
11	Cartridges	1500
12	White DMP Printer (TVS QX255)	17
13	HP Laser Jet Printer 1200	1
14	HCL white Keyboard (HCK 4200)	18
15	HP Scanjet Scanner (3670)	1
16	HCL CPU Infinite 2000	2
17	L.G. CRT Monitor	2
18	Uni-line UPS (1 KVA) without Battery Bank	1
19	Acer CRT Monitor	1
20	CRT Terminal Monitor	20
21	CVT	13

इच्छुक केता सुपरोक्त निष्प्रयोज्य, अनुपयोगी एवं आउट डेटेड कम्प्यूटर एवं पुराने कम्प्यूटर हार्डवेयर का न्यूनतम गूल्य 90,300/- की दर से अधिकतम बोली बोलना चाहते हों तो वे दिनांक 19.10.2023 साथे साय 4:00 बजे तक केन्द्रीय न्यायालय की जमानत धनराशि जागा कर बोली में भाग ले सकते हैं। बोली बोलने के उपरान्त जमानत धनराशि वापरा कर दी जायेगी। नीलामी, उच्चतम बोली बोलने वाले को दी जायेगी। प्रत्येक बोली लगाने वाला व्यक्ति रिफर रवैंय के लिये ही बोली लगा सकेगा तथा उसके द्वारा लगायी बोली की धनराशि गे यिरी भी दशा में किरी कगी पर विचार नहीं किया जायेगा। कोई व्यक्ति किरी अन्य व्यक्ति की ओर से नीलामी पर बोली लगाने के लिये तब तक अधिकृत नहीं होगा जब तक कि उसने ऐसे व्यक्ति से जो नीलामी पर उपरिथित है, लिखित प्राधिकार नहीं प्राप्त कर लेता। यहाँ जैसे हैं इस शर्त पर निष्प्रयोज्य, अनुपयोगी एवं आउट डेटेड कम्प्यूटर एवं पुराने कम्प्यूटर हार्डवेयर की नीलामी की जायेगी। नीलामी के पूर्व केता किरी गी कार्य दिवस में केन्द्रीय न्यायालय में सम्पर्क कर उक्त निष्प्रयोज्य, अनुपयोगी एवं आउट डेटेड कम्प्यूटर एवं पुराने कम्प्यूटर हार्डवेयर का निरीक्षण कर सकते हैं। जी०एस०टी० रजिस्टर्ड फर्म तथा जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र जिनके पास होगा उन्हीं की जमानत धनराशि जागा की जायेगी तथा वही बोली में भाग ले सकेगा। बोली के अन्तिम होते ही गूल्य का 25 प्रतिशत अर्नेस्ट मनी के रूप में तत्काल न्यायालय का नाम लिया जायेगा तथा निष्प्रयोज्य, अनुपयोगी पर्याप्त आउट डेटेड कम्प्यूटर एवं

नियमानुसार जमा करना होगा। इस हेतु जैक, वैंक ड्राफ्ट एवं हुन्डी स्वीकार नहीं होगी। अर्नेस्ट मनी जमा न करने की दशा में बोली तत्काल निरस्त कर दी जायेगी तथा उससे पूर्व उच्चतम बोली लगाने वाले को सक्षम निष्प्रयोज्य, अनुपयोगी एवं आउट डेटेड कम्प्यूटर एवं पुराने कम्प्यूटर हार्डवेयर को बेच दिया जायेगा, अग्रिम धन जमा करने में असफल बोली लगाने वाले के विरुद्ध विधि सामंत कार्यवाही की जायेगी। यदि सफल बोली लगाने वाला व्यक्ति निर्धारित समय के अन्तर्गत धनराशि जमा करने में असफल रहता है तो उसके पक्ष में नीलामी को निरस्त कर दिया जायेगा तथा अग्रिम को जब्त कर लिया जायेगा साथ ही उक्त निष्प्रयोज्य, अनुपयोगी एवं आउट डेटेड कम्प्यूटर एवं पुराने कम्प्यूटर हार्डवेयर को अगली सुच्चतम बोली लगाने वाले को प्रस्तावित किया जायेगा। सफल बोली को स्वीकार किये जाने की लिंगित दशा में बोली लगाने वाला नीलामी के परिसर के अन्तर्गत अपने उत्तरदायित्व पर उक्त निष्प्रयोज्य, अनुपयोगी एवं आउट डेटेड कम्प्यूटर एवं पुराने कम्प्यूटर हार्डवेयर की अग्रिमता की उवित्त व्यवस्था करेगा। पूर्ण भुगतान के बाद केन्द्रीय नाइर/सिस्टम ऑफिरार की उपरिणीति में उक्त निष्प्रयोज्य, अनुपयोगी एवं आउट डेटेड कम्प्यूटर एवं पुराने कम्प्यूटर हार्डवेयर को उठाकर ले जाना होगा। भुगतान हो जाने के 07 दिनों के अन्दर उक्त निष्प्रयोज्य, अनुपयोगी एवं आउट डेटेड कम्प्यूटर एवं पुराने कम्प्यूटर हार्डवेयर को उठाकर ले जाना आवश्यक होगा अन्यथा 01 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से विक्रय गूल्य पर अतिरिक्त प्रगार विभासित किया जायेगा। चुंगी अथवा अन्य कर की देयता जो विधि के अधीन बकाया हो केता की होंगी। अधिकतम धनराशि के बोली कर्ता को नीलामी के उपरान्त नियमानुसार बोली को स्वीकृत व अस्वीकृत करने का अधिकार माननीय जनपद न्यायालय, कागांपुर नगर के पास सुरक्षित है। नीलामी की कार्यवाही जनपद न्यायालय के बहुखण्डीय गवन के प्रथम तल के बरागढ़े में दिनांक 07.11.2023 को सांय 4:30 बजे रामपादित की जायेगी।

(सन्तोष कुमार तिवारी)
निशेष न्यायाधीश एस.री./एस.टी.एक्ट/
आध्यक्ष,
नीलामी समिति जनपद न्यायालय,
कानपुर नगर।

(रान्तोष कुमार तिवारी)
तिशेष न्यायाधीश एस.सी./ एस.टी.एक्ट /
आध्यक्ष,
नीलामी समिति जनपद न्यायालय
(सफलतापूर्वक बहुसार तिवारी)
किशोर न्यायाधीश
एस.सी.एस.टी. एक्ट, कानपुर नगर